

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:एफ 28( )पंरावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./सेवा.निवृत्त/2018/1260 जयपुर,दिनांक: 15.3.18

**:: आ दे रा ::**

निम्न कार्मिक पंचायत प्रसार अधिकारियों के रूप में अधीनस्थ सेवा में कार्यरत थे, के द्वारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने एवं पारिवारिक परिस्थितिवश इनके नाम के सम्मुख तिथि से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है:-

क्र. सं.	नाम पंचायत प्रसार अधिकारी	पदस्थापित स्थान	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	श्री लियाकत खॉ	पं.स. सायला (जालोर)	01.10.1963	23.02.1988	20.03.2018
2	श्री अनिल कुमार रावल	पं.स.सायरा (उदयपुर)	11.11.1960	11.10.1979	16.05.2018

अतः राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त पंचायत प्रसार अधिकारियों को उनके नाम सम्मुख अंकित तिथि (कॉलम 6) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त पंचायत प्रसार अधिकारियों के विरुद्ध वर्तमान में कोई विभागीय जाँच/शिकायत विचाराधीन नहीं है।

आज्ञा से,

  
(पूनम प्रसाद सागर)

संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जालोर एवं उदयपुर को उनके पत्रांक क्रमशः 10305 दिनांक 27.02.18 एवं 1413 दिनांक 25.01.2018 के क्रम में।
4. विकास अधिकारी, पं.स. सायला (जालोर), सायरा (उदयपुर)
5. आदेश में वर्णित संबंधित पंचायत प्रसार अधिकारी
6. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड कराने हेतु।
7. आदेश / रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त